समाहरणालय, सिवान

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

–: आदेश :–

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1278 दिनांक 15.09.2018 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत सभी पेशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के तहत उनके खाते में किया जा रहा है। पुरे राज्य में 62.00 लाख पेंशनधारियों को माह जून, 2018 तक (अद्यतन) भुगतान कर दिया गया है, जिसमें अभी भी बहुत पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान किसी कारणवश नहीं हो पाया है। पेंशन भुगतान नहीं होने के संबंध में निम्न बाते प्रकाश में आयी है :–

1. जिन पेंशनधारियों का नाम डिजिटाइज़ हुआ है उनमें से भी 876 पेंशनधारी का बैंक खाता नहीं खुला है एवं यदि बैंक खाता खोला भी गया हो तो उनका बैंक खाता वेबसाईट पर अपलोड नहीं है।
2. पी0एफ0एम0एस0 द्वारा सत्यापन के क्रम में लगभग 4,611 खाता पी0एफ0एम0एस0 द्वारा खाता संख्या में त्रुटि होने पर, कारण सहित ई–लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि अंकित किया गया है, जिसे निराकरण कर पुनः वेबसाईट पर अपलोड करना है, ताकि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा खाता स्वीकृत हो और उसमें पेंशन का भुगतान सुगमता से हो सकें।
3. सभी पी0एफ0एम0एस0 स्वीकृत 1,85,101 खाता को प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड किया जाना है। किन्तु अभी भी 1,85,101 स्वीकृत खातों के विरूद्ध मात्र 1,80,031 खाता को ही प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड किया गया है। प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड नहीं करने के कारण भी पेंशन भुगतान नहीं हो पाया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लगभग 2,330 एवं सहायक निदेशक द्वारा 1,348 खाता ब्लॉक किया गया है। यदि यह लाभुक मृत हैं अथवा फर्जी हैं तो इन्हें ई–लाभार्थी पोर्टल से कारण सहित डिलीट किया जाय। यदि पेंशन पाने योग्य हैं तो उनके डाटा को सुधार कर उसे लॉक्ड किया जाय। यदि लाभुक के नाम में थोड़ा परिवर्तन किया जाना है अथवा वैसे लाभुक जिनको पूर्व में किसी अन्य बैंक खाता में राशि उपलब्ध कराया गया है तथा अब खाता बन्द होने या किसी अन्य कारण से नया खाता संख्या इन्ट्री करना है तो इस संबंध में पत्र के माध्यम से लाभुक की सत्यापित एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची एन0आई0सी0, पटना तथा नोडल पदाधिकारी, डी0बी0टी0 कोषांग, सक्षम, अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना को उपलब्ध करायी जाय।
4. इस संबंध में पूर्व में माह जनवरी–फरवरी, 2018 एवं माह अप्रैल–मई, 2018 में प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, परन्तु शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

उपरोक्त के आलोक में भुगतान नहीं मिल रहे सभी डिजिटाइज पेंशनधारियों के लिए प्रखण्ड स्तर पर दिनांक 20.09.2018 से 30.09.2018 तक अंतिम रूप से शिविर का आयोजन किया जाय। उक्त शिविर में डिजिटाइज पेंशनधारियों से आवश्यक कागजात प्राप्त करते

हुए ई–लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि सुधार किया जाय एवं उक्त कागजात को अभिलेख के रूप में संधारित किया जाय। प्रत्येक प्रखण्ड में उक्त अवधि के लिए पंचायत/पंचायत समूहवार रोस्टर निर्धारित कर शिविर के संबंध में प्रचार–प्रसार कराया जाय, ताकि कोई भी मामला छूटे नहीं।

5. प्रत्येक शिविर में इन्टरनेट सुविधा युक्त कम–से–कम चार कम्प्यूटर सेट (ऑपरेटर सहित) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
6. इसी प्रकार प्रत्येक शिविर में बैंक खाता खोलने हेतु कम–से–कम एक काउन्टर की व्यवस्था की जाय।
7. भुगतान नहीं मिल रहे पेंशनधारियों को अपने दावा के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाणक यथा–पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, जिसमें नाम एवं बैंक खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो। यदि बैंक खाता नहीं हो तो शिविर में ही खाता खुलवाया जाय एवं पोर्टल पर खाता संख्या की इन्ट्री की जाय।
8. इस बात का ध्यान रखा जाय कि ई–लाभार्थी पोर्टल में पेंशनधारी का नाम, बैंक खाता एवं आधार में उनका नाम समान हो, अन्यथा ई–लाभार्थी पोर्टल में नाम दर्ज होने पर भी इनके खाता में राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा। अतः शिविर में ऐसे मामलों में नामों के इस अंतर को दूर कर संबंधित अभिलेखों (पेंशन पंजी/बैंक खाता/आधार कार्ड) में सुधार कर लिया जाय। पोर्टल में दर्ज मामलों में पंचायतवार पी0एफ0एम0एस0 अस्वीकृत पेंशनधारियों की सूची डाउनलोड कर तत्काल त्रुटि निराकरण करते हुए पुनः वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
9. इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि यदि कोई 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी वृद्धावस्था पेंशन के साथ–साथ अन्य पेंशन यथा–विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन के लिए भी योग्य हों तो उनको वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर विधवा/दिव्यांगता पेंशन में दर्ज किया जाय। इसी प्रकार कोई पेंशनधारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की पेंशन योजना के लिए योग्य हो तो उन्हें सरकार की पेंशन योजना के तहत दर्ज किया जाय।
10. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारी का नाम वृद्धावस्था पेंशन के तहत ही दर्ज किया जाय, ताकि पेंशनधारी को अधिकाधिक पेंशन मिल सकें।
11. पी0एफ0एम0एस0 द्वारा स्वीकृत परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लॉक्ड करने हेतु लंबित मामलों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बिना शिविर के आयोजन की प्रतीक्षा किये अविलम्ब लॉक्ड किया जाय।
12. उपरोक्त शिविर के आयोजन के संबंध में समाचार–पत्र, माईक, पोस्टर आदि की सहायता से सूचना दी जाय तथा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा शिविर की सूचना जनप्रतिनिधि यथा–मुखिया, वार्ड सदस्य एवं माननीय विधायक/पार्षद को भी दी जाय।
13. सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाते है, जो इस कार्य का सतत अनुश्रवण करेगें एवं प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देंगें।
14. शिविर में प्राथमिक उपचार, पेंयजल, सुरक्षा आदि की व्यवस्था के लिए संबंधित पी0एच0सी0, थाना एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

15.ई–लाभार्थी पोर्टल पर डिजिटाईज परन्तु भुगतान नहीं प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों के लिए यह अंतिम शिविर होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

17.09.18

जिला पदाधिकारी,
सिवन।

संचिका सं0 XXXII-02/17 ज्ञापांक 2650 सा0सु0को0, दिनांक 17-09-2018

प्रतिलिपि :–	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, (महाराजगंज) सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	प्रबंधक, अग्रणी बैंक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसारं हेतु स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में लगातार दिनांक 20.09. 2018 से 30.09.2018 तक प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :–	सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान/महाराजगंज, को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त शिविर में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
प्रतिलिपि :–	निदेशक, DRDA को आधार पंजीकरण के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	उप विकास आयुक्त, सिवान/अपर समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	अध्यक्ष, जिला परिषद्, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	वरीय प्रशासी पदाधिकारी SSUPSW को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1278/दिनांक 15.09.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	माननीय विधायक एवं जिला पार्षद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	माननीय सांसद श्री ओमप्रकाश यादव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	माननीय प्रभारी मंत्री सिवान जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17.09.18

जिला पदाधिकारी,
सिवन।